5.3.24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। P.O. सा. का पद रिक्त है। पत्रावली वादी प्रार्थना पत्र के जवाब बहस हेतु दि. 5.6.24 को पेश हो।

(Reader)

05.06.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजीयात है। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविदात बढ़ेगी, जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः अन्तर्वर्ती निषेधाज्ञा जारी कर दोनों पक्षों को पाबंद किये जाते हैं कि मौजा मालाकस्बा में खाता सं. 7 ख.सं. 117, 2, 3, 66, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 86, 87, 90/2, 91, 92, 94, 99 रकबा कुल 4.7833 हैक्ट. भूमि में दोनों पक्ष मूल वाद के फैसले तक अतिक्रमण, निर्माण कार्य न तो स्वयं करें, न अन्य किसी से करावें। दोनों पक्ष अपने हिस्से की भूमि में काश्त करें, एक-दूसरे को काश्त में रुकावट पैदा न तो स्वयं करें न अन्य किसी से करावें। वादग्रस्त भूमि को विक्रय अथवा बख्शीश न करें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

पत्रावली में मूल वाद के फैसले तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner